

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4686
दिनांक 21.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

ग्रामोद्योग विकास योजना

4686. श्री जी. सेल्वम:

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

श्री नवसक्नी के.:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) के अंतर्गत जिलावार और क्षेत्रवार कितनी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है;
- (ख) प्रत्येक पूर्ण, चल रही या लंबित परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और देरी के क्या कारण हैं;
- (ग) तमिलनाडु में ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) के अंतर्गत क्षेत्रवार क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और क्या प्रौद्योगिकी सहायता या विपणन सहायता प्रदान की गई है;
- (घ) क्या उक्त योजना ने तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आय वृद्धि में योगदान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में कोई प्रशिक्षण केंद्र, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) या ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या सरकार का ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) का विस्तार तमिलनाडु के आकांक्षी जिलों और पिछड़े ब्लॉकों में करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी समय-सीमा और कार्यान्वयन योजना क्या है; और
- (छ) उक्त योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में पारंपरिक ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देने और ग्रामीण कारीगरों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) परियोजना-आधारित न होकर कारीगर-केंद्रित कार्यक्रम है। जीवीवाई के अंतर्गत, केवीआईसी खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई), कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई), कल्याण एवं सौंदर्य उद्योग (डब्ल्यूसीआई), हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा एवं प्लास्टिक उद्योग (एचपीएलपीआई), ग्रामीण इंजीनियरिंग एवं नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईएनटीआई) तथा सेवा उद्योग जैसे ग्रामोद्योगों के वर्टिकल के अंतर्गत ग्रामीण एवं पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण टूलकिट और पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करता है। केवीआईसी, बिक्री केंद्रों और प्रदर्शनियों में जीवीवाई के ग्रामोद्योग उत्पादों के प्रदर्शन के माध्यम से विपणन सहायता भी प्रदान करता है।

(ग) वर्ष 2024-25 के दौरान तमिलनाडु राज्य में जीवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं वर्टिकल-वार लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक-I में है।

(घ) ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा तृतीय पक्ष एजेंसी से कराए गए कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार, केवीआईसी के सभी छह क्षेत्रों में कारीगरों की औसत वार्षिक आय में 35 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार, हनी मिशन के अंतर्गत केवीआईसी के सभी छह क्षेत्रों में मधुमक्खी पालकों की औसत वार्षिक आय में 30 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

(ङ.) केवीआईसी तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित प्रशिक्षण केंद्रों/प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

- (i) सेंट्रल पामगुर और पाम उत्पाद संस्थान (सीपीपीपीआई), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, चेन्नई- 600051
- (ii) खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, तमिलनाडु सर्वोदय संघ, जिला: तिरुपुर, पोस्ट: वीरापंडी-641605
- (iii) वॉलनेटरी एसोसिएशन फॉर पीपल सर्विस, 39, बेसेंट रोड, वोक्किकुलम, मदुरै, तमिलनाडु-625002
- (iv) दक्षिण भारतीय बहु-राज्य कृषि सहकारी समिति लिमिटेड टाउन हॉल परिसर, पुराने बस स्टैंड के पास, वेल्लोर

(च) ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) तमिलनाडु राज्य के आकांक्षी जिलों और पिछड़े ब्लॉकों सहित अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वित की जा रही है। लाभार्थियों की पहचान के समय विशेष ध्यान पिछड़े क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों पर दिया जा रहा है।

(छ) जीवीवाई के अंतर्गत, केवीआईसी तमिलनाडु राज्य सहित देश-भर में खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई), कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई), कल्याण एवं सौंदर्य उद्योग (डब्ल्यूसीआई), हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा एवं प्लास्टिक उद्योग (एचपीएलपीआई), ग्रामीण इंजीनियरिंग एवं नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईएनटीआई) तथा सेवा उद्योग जैसे ग्रामोद्योगों के वर्टिकल के अंतर्गत ग्रामीण एवं पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण टूलकिट और पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करता है।

केवीआईसी राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों का आयोजन करके केवीआईसी बिक्री केन्द्रों और पूरे देश में अपने उत्पादों के विपणन के लिए पारंपरिक ग्रामोद्योगों को पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करता है।

तमिलनाडु में ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) के अंतर्गत ग्रामीण कारीगरों को प्रदान की गई सहायता का जिलावार और क्षेत्रवार ब्यौरा

2024-25		
जीवीवाई क्षेत्र/कार्यकलाप का नाम	जिला का नाम	लाभार्थियों की संख्या
कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (पामगुर)	कृष्णागिरी	60
	इरोड	40
कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (इमली प्रसंस्करण)	तिरुपत्तूर	60
	कृष्णागिरी	40
कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (ग्रामीण तेल)	कुड्डालोर	40
	कृष्णागिरी	40
	तिरुवन्नमलाई	20
कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (शहद मिशन)	नमक्कल	60
	तिरुचिरापल्ली	25
	कोयंबटूर	20
	धर्मपुरी	20
	कन्याकुमारी	75
	डिंडीगुल	50
खनिज आधारित उद्योग (मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्यक्रम)	कोयंबटूर	100
	इरोड	40
	रानीपेट	40
	वेल्लोर	40
	सलेम	20
	तिरुपूर	20
	तंजावुर	20
	तिरुवरूर	20
	पुदुक्कोट्टई	69
	तेनकासी	60
	मदुरै	40
	शिवगंगा	40
	थेनी	20
हस्तनिर्मित कागज और फाइबर उद्योग (फाइबर निष्कर्षण)	तिरुचिरापल्ली	20
	तिरुवन्नमलाई	20
	कन्याकुमारी	20
	शिवगंगा	10
	तिरुनेलवेली	10
चमड़ा उद्योग (जूता विनिर्माण)	कुड्डालोर	3
	कांचीपुरम	3
	चेंगलपट्टूर	2
	विल्लुपुरम	2

चमड़ा उद्योग (जूता मरम्मत)	सलेम	50
पीसीबीआई (स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन)	मदुरै	20
	तिरुनेलवेली	13
आरईएनटीआई (अपशिष्ट लकड़ी शिल्प)	मदुरै	20
	तिरुनेलवेली	20
आरईएनटीआई (टर्न वुड क्राफ्ट)	इरोड	40
	रानीपेट	20
	पुदुक्कोट्टई	48
	तिरुवल्लुर	3
सेवा उद्योग (इलेक्ट्रीशियन)	कांचीपुरम	20
	नमक्कल	20
	मदुरै	20
सेवा उद्योग (प्लंबर)	चेन्नई	20
	मदुरै	20
	विरुधुनगर	20
सेवा उद्योग (सिलाई मशीन ऑपरेटर)	अरियालूर	40
	धर्मपुरी	40
	कल्लाकुरिची	40
	सलेम	40
	तिरुचिरापल्ली	40
	तिरुपूर	40
	कोयंबटूर	20
	कृष्णागिरी	20
	नमक्कल	20
	तिरुवल्लुर	20
	वेल्लोर	20
	विरुधुनगर	45
	शिवगंगा	26
	मदुरै	20
	रामनाथपुरम	20
	तिरुनेलवेली	20
	थेनी	20
सकल योग		2014